न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 28/2016 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये रमेश चन्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन अजमेर	**बनाम**	1. श्री ललित रामचन्दानी पुत्र स्व. जयकिशन रामचन्दानी मैसर्स चन्द्रा स्वीट भण्डार शॉप नं. 13 यू.आई.टी. मार्केट, भीलवाडा निवासी – 103/1, चारभुजा विहार, जगजीवन पार्क के पास कांवाखेडा भीलवाडा – विक्रेता 2. श्री दीपक लछवानी पुत्र चन्द्रप्रकाश लछवानी, मैसर्स चन्द्रा स्वीट भण्डार शॉप नं. 13 यू.आई.टी. मार्केट, भीलवाडा 3. मैसर्स चन्द्रा स्वीट भण्डार शॉप नं. 13 यू. आई.टी. मार्केट, भीलवाडा
– प्रार्थी		**––विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित

2 श्री संदीप आगाल अधिवक्ता विपक्षीगण की ओर से उपस्थित नहीं

आदेश

दिनांक 22.04.2019

खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जरिये राजस्थान राजपत्र अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 व 8.12. 2011 से दिनांक 01.02.2012 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर दिनांक 09.01.2012 द्वारा आवंटित कार्यक्षैत्र जोन – अजमेर दिया गया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी राजस्थान राजपत्र अधिसूचना दिनांक 18.08.2011 द्वारा जिला अभिहित अधिकारी की नियुक्त की गयी है जिससे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं, कि विपक्षी ललित रामचन्दानी पुत्र स्व. जयकिशन रामचन्दानी मैसर्स

चन्द्रा स्वीट भण्डार शॉप नं. 13 यू.आई.टी. मार्केट, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु शुगर बॉइल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉकलेट(पैक्ड) इत्यादि का विक्रय कर रहा था । मैसर्स चन्द्रा स्वीट भण्डार शॉप नं. 13 यू.आई.टी. मार्केट, भीलवाडा का विक्रेता एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत् शुगर बॉइल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉकलेट(पैक्ड) के करीब 10–12 किलोग्राम (पॉली पैक 450 ग्राम) वजन के पोली पैक में रखे हुये थे। मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5 **ए** की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत् लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.08.2015 को समय 02.20PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु मैसर्स चन्द्रा स्वीट भण्डार शॉप नं. 13 यू.आई.टी. मार्केट, भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया। उस समय दुकान पर खाद्य विक्रेता/मैनेजर की हैसियत ललित रामचन्दानी पुत्र जयकिशन रामचन्दानी उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु शुगर बॉइल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉकलेट(पैक्ड) का विक्रय कर रहा था। विक्रेता से मौके पर फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति मांगी गई। विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य अनुज्ञा पत्र होना बताया।

मौके पर गवाह एवं विक्रेता की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ शुगर बॉइल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉकलेट(पैक्ड) के 450 ग्राम के 4 पैकेट पैक्ड हालत में खाद्य कारोबारकर्ता से नमूना वास्ते जाँच हेतु एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत खरीदे एवं इस बाबत 300/– रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

इन खरीदशुदा 4 पैक्ड पैकेटों को गवाहों एवं विक्रेता के सामने चार लेबल नियमानुसार भरकर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक AJ/698 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैंनें स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना

भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. AJ/698 जो डॉ. वन्दना चौधरी डी.ओ. एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन अजमेर द्वारा हस्ताक्षरित थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपड़ी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये। सभी कार्यवाही गवाहों व विक्रेता के सामने पूर्ण की गई।

खाद्य नमूना सं. AJ/698 के एक सीलबन्द भाग को फार्म नं. 6 की एक प्रति के साथ जिस पर वहीं सील नमूना अंकित था जो मैनें नमूना लेते समय काम मे ली थी। एक आउटर कवर में बंद कर, नमूने का विवरण एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला का नाम व पता लिखकर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर एवं फार्म नं. 06 की दो प्रतियां एक लिफाफे में बंद कर भिजवाई गई।

खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S. 574/एक्ट/2015/574 दिनांक 10.09.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. AJ/698 शुगर बॉइल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉकलेट(पैक्ड) मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी मैसर्स चन्द्रा स्वीट भण्डार शॉप नं. 13 यू.आई.टी. मार्केट, भीलवाडा द्वारा मिसब्राण्डेड शुगर बॉइल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉकलेट(पैक्ड) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 07.04.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 10.05.2016 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। विपक्षीगण की ओर से दिनांक 30.08.2016 को जवाब पेश किया। विपक्षीगण एवं विपक्षी अधिवक्ता ने बहस में भाग नही लिया।

प्रकरण में विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि Nutritional information given but amount of Sugar not given. Contravention of Regulation No. 2.2.2 (3) of the food safty and standards (packaging & labelling) Regulations, 2011. List of Ingredients – The specific name or Recognized International numerical identification of emulsifying & common name of artificial flavours used in the product not mentioned on the lable of sample. Contravention of Regulation No. 2.2.2 (5) of the food safty and standards (packaging & labelling) Regulations, 2011 का उल्लघंन कर मिसब्राण्डेड शुगर बॉइल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉकलेट(पैक्ड) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 मे निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षीगण के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है ।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S. 574/Act/2015/574 दिनांक 10.09.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. AJ/698 शुगर बॉइल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉकलेट(पैक्ड) मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि Nutritional information given but amount of Sugar not given. Contravention of Regulation No. 2.2.2 (3) of the food safty and standards (packaging & labelling) Regulations, 2011. List of Ingredients – The specific name or Recognized International numerical identification of emulsifying & common name of artificial flavours used in the product not mentioned on the lable of sample. Contravention of Regulation No. 2.2.2 (5) of the food safty and standards (packaging & labelling) Regulations, 2011 का विपक्षीगण द्वारा उल्लघंन कर मिसब्राण्डेड शुगर बॉइल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉकलेट(पैक्ड) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 मे निर्धारित है।**

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा मिसब्राण्डेड शुगर बॉइल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉकलेट(पैक्ड) का निर्माण एवं विक्रय किया गया है, जो कि खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनिमय 2011 के प्रावधानों का उल्लघंन है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षीगण द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षीगण सं. 01 से लगायत 03 पर 40,000/–रूपये (अक्षरे चालीस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी सं. 01 से लगायत 03 उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 90 दिवस के अन्दर शास्ति राशि कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर

2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा

3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा

4. श्री ललित रामचन्दानी पुत्र स्व. जयकिशन रामचन्दानी मैसर्स चन्द्रा स्वीट भण्डार शॉप नं. 13 यू.आई.टी. मार्केट, भीलवाडा निवासी – 103/1, चारभुजा विहार, जगजीवन पार्क के पास कांवाखेडा भीलवाडा – विक्रेता को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

5. श्री दीपक लछवानी पुत्र चन्द्रप्रकाश लछवानी, मैसर्स चन्द्रा स्वीट भण्डार शॉप नं. 13 यू. आई.टी. मार्केट, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

6. मैसर्स चन्द्रा स्वीट भण्डार शॉप नं. 13 यू.आई.टी. मार्केट, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)